न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 07/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/17

दीपू सिंह केयर ऑफ एडवोकेट अजीत सिंह, हाऊस नं. 3/8 नजदीक केवी पैलेस रायसिंहनगर

–अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार, रायसिंहनगर

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 06.12.2022 पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के आधार पर अपील प्रस्तुत कर 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से लोक सूचना अधिकारी पर राशि अधिरोपित करते हुए सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्रेषित टिप्पणी क्रमांक/भू.अ./वसी./2023/4355 दिनांक 06.11.2023 के द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया हैं कि –

"अपीलार्थी श्री दीपू सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत मार्फत अजीत सिंह एडवोकेट या वकील के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2022 व 27.09.2022 प्रस्तुत कर विनिमय की निर्णित पत्रावली 04/2020 दलजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह वगैरह कौम जटसिख साकिन 24 पीएस में से कुछ नकलें चाही गई थी लेकिन उक्त पत्रावली कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को वांछित नकल उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। उक्त प्रार्थना पत्र में वांछित नकलों के लिए मूल पत्रावली तलाश किए जाने व संम्बन्धित सिगेदार व तत्कालीन तहसीलदार से भी जरिये पत्र पूछा गया परन्तु मूल पत्रावली काफी तलाशने पर भी आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित नकल भी प्रार्थी को उलब्ध करवा दी गई थी। समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति साथ में संलग्न है मूल पत्रावली मिलते ही प्रार्थी को वांछित नकलें उपलब्ध करवा दी जायेगी।"

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नलिखित सूचना चाही गयी :–

"(1) नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 14/07/2022 बाबत नकल मय [illegible] करने के आदेश की प्रति नकी नकल क्यों नहीं दी गई
(2) नकल पत्र क्रमांक 1/भू.अ. दिनांक 18.11.2022 प्रार्थी रूप सिंह पर आदेश तहसीलदार दिनांक 18.11.2022
(3)प्रार्थना पत्र दीपू सिंह वगैरा दिनांक 18.11.2020"

तहसीलदार रायसिंहनगर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को लिखित में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वांछित सूचना के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाई हो ऐसा साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। अपीलार्थी द्वारा भी इसी आधार पर कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, अपील प्रस्तुत की हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agraw
Date: 2024.01.06 14:24:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

प्रतिवेदन में अंकित किया गया हैं कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित सूचनाओं से संबंधित मूल पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। पत्रावली तलाश करने के उपरान्त भी लोक सूचना अधिकारी को नहीं मिली ऐसा भाव प्राप्त प्रतिवेदन में समाहित हैं। लोक अधिकरण (राजकीय कार्यालय) का आवश्यक रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना चिंता का विषय हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार अपीलार्थी द्वारा विनिमय प्रकरण की निर्णित पत्रावली प्र.सं. 04/2020 में से कुछ नकलें चाही गयी थी, जो पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी तलाश हेतु किये गये पत्राचार की प्रतियां संलग्न प्रतिवेदन प्राप्त हुई हैं। तहसीलदार न्यायालय की वर्ष 2020 की पत्रावली जो कि न्यायालय का महत्वपूर्ण रिकार्ड हैं, कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना संदेहास्पद हैं। कार्यालय अभिलेख के तलाश के बावजूद उपलब्ध नहीं होने पर आवश्यक जांच उपरान्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी, जिस हेतु कार्यालयध्यक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र थे।

अपीलार्थी/आवेदक को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी हैं अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह धारणा की जा सकती हैं कि लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हैं, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करवाना लोक सूचना अधिकारी का दायित्व हैं। अतः अपील स्वीकार कर तहसीलदार रायसिंहनगर को आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति के एक माह के भीतर आपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना से संबंधित पत्रावली की तालाश करते हेतु अपीलर्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाएं। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:39 IST
Reason: SelfAttested